खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री राकेश रंजन बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री राकेश रंजन उपस्थित।

17.11.2025

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की ओर से विभागीय पदाधिकारी उपस्थित।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत अपील आवेदन श्रीमती लुसी कुमारी, पति राकेश रंजन, आपूति निरीक्षक, प्रखंड–हसनपुरा, जिला–सिवान के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है। जबकि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–2647/खाद्य, पटना दिनांक–08.06.2022 के द्वारा श्री राकेश रंजन, तत्कालीन आपूति निरीक्षक डुमरा, सीतामढ़ी सम्प्रति आपूति निरीक्षक, हसनपुरा, सिवान को प्रमाणित आरोपों के लिए देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया है।

फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–26 में अपील के प्रारूप एवं विषयवस्तु के अनुकूल यह अपील आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अर्थात् दंडित पदाधिकारी (श्री राकेश रंजन) के द्वारा अपील आवेदन दायर नहीं कर उनकी पत्नी श्रीमती लुसी कुमारी के द्वारा अपील आवेदन दायर किया गया है, जो उपरोक्त प्रावधान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–26 के अनुरूप नहीं है।

फलस्वरूप तकनीकी कारणों से प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित	
ह0/–	ह0/–
(लेशी सिंह)	(लेशी सिंह)
मंत्री,	मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–	–सह–
अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–20/2018– 3526 खाद्य, पटना/दिनांक–09/12/2025
प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण एवं सीवान/उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण (बेतिया) एवं सीवान/अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, प0 चम्पारण (बेतिया) एवं सीतामढ़ी सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्री राकेश रंजन (कोटि क्रमांक–170/2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड–लौरिया, जिला–प0 चम्पारण, बेतिया, मोबाइल संख्या–9852624488/श्रीमती लुसी कुमारी, पति–श्री राकेश रंजन, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, हसनपुरा, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(सीतामढ़ी)–20/2018– 3526 खाद्य, पटना/दिनांक–09/12/25
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।